(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम धर्मेन्द्र पुत्र बनवारी लाल सैनी

किस्म मुकदमा FSSAT नं. 53 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	
21.12.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी दिल्ली नारनौल रोड़, सिंघाना झुन्झुनू में मै0 श्री गणेश मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान है जहां वह मिठाई बनाकर बेचान करता है। उसकी फर्म से पनीर का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टैण्डर्ड पाया गया है। अनावेदक ने लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया कि जिस पनीर का सैम्पल लिया गया था वह पुराना हो गया था तथा फेंकने के लिए अलग रखा था जो भूलवश फैंका नही गया। अन्यथा वह स्वयं शुद्ध पनीर तैयार करता है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2445/एक्ट/2022/2483 दिनांक 03.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 श्री गणेश मिष्ठान भण्डार पर पनीर स्वयं तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री धमेन्द्र पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी, मै0 श्री गणेश मिष्ठान भण्डार, [illegible] ल रोड़ सिंघाना, झुन्झुनू निवासी वार्ड नम्बर 05, सिंघाना, [illegible] (2) (II) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/– पांच हजार [illegible] अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस [illegible] चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें [illegible] की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:31:00 IST
Reason: SelfAttested